दिल्ली विधान सभा सचिवालय

समाचार भाग - 2

{विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी}

बुधवार, 22, अप्रैल, 1998 / बैशाख 02, 1920 {शाक}

नं० 383

## सदस्य की नजरबंदी एवं रिहाई

माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा को सम्बोधित पुलिस उपायुक्त, नई दिल्ली जिला, नई दिल्ली का निम्नलिखित संदेश दिनांक 20.4.98 को प्राप्त हुआ :-

"मुझे आपको ससम्मान सूचित करना है कि दिल्ली विधान सभा के माननीय सदस्य श्री जय किशन को उनके अन्य समर्थकों सहित दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 65 के अन्तर्गत पुलिस थाना संसद मार्ग, नई दिल्ली के विधिसम्मत् निर्देशों की अवज्ञा करने के कारण दिनांक 16.4.1998 को पूर्वाह्न 11.45 बजे रजिस्टार को-ऑपरेटिव सोसाईटी, संसद मार्ग, नई दिल्ली के कार्यालय के सामने नजरबंद किया गया।

उन्हें उसी दिन अर्थात् दिनांक 16.4.98 को अपराह्न 12.10 बजे पुलिस थाना, संसद मार्ग, नई दिल्ली से रिहा कर दिया गया।

पी. एन. गुप्ता

सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT

BULLETIN PART-II

( General information relating to Legislative & other matters)

Wednesday, 22nd April, 1998/Baishakha 02, 1920 (Saka)

No. 383

## DETENTION AND RELEASE OF MEMBER

The following information addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Vidhan Sabha was received from Dy. Commissioner of Police, New Delhi :-

" I have the honour to inform you that Shri Jai Kishan member of the Legislative Assembly, Delhi alongwith his other supporters was detained under section 65 of Delhi Police Act, 1978 for disobeying the lawful directions of the police from Parliament Street, in front of the office of the Registrar, Co-operative Societies, New Delhi on 16.4.98 at 11.45 A.M.

He was released at 12.10 PM from P.S. Parliament Street, New Delhi for the same day i.e. on 16.4.98.

P.N. GUPTA

SECRETARY